तहजाथे पुराइल साराबी और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील सं. 2009/3568)

14 मई, 2009

[अल्टमास कबीर और डॉ मुकुंदकम शर्मा, जे. जे.]

ब्याज अधिनियम, 1978- धारा 3- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 34- धन डिक्री- ब्याज, जब से देय हो- रेलवे यात्री की मृत्यु- मुआवजे का दावा- रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने मुआवजे का आदेश दिया लेकिन क्षतिपूर्ति राशि पर घटना की तारीख या दावे की तारीख से लगा ब्याज देनी की मंजूरी नहीं दी गई- क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के आदेश की अनुपालना ना होने पर ही ब्याज दिया गया- प्रतिपादित किया- ब्याज का भुगतान निश्चित रूप से तब होता है जब एक धन डिक्री पारित की जाती है- ब्याज अनिवार्य रूप से एक क्षतिपूर्ति देय धन है जो धन देने से मना करने एवं धन के उपयोग के अधिकार से वंचित करने के कारण दिया जाता है- हालांकि न तो रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम और न ही रेलवे अधिनियम ने भुगतान के लिए प्रावधान किया, न्यायालयों की प्रदत्त राशि पर ब्याज अनुदान देने की शक्ति ब्याज अधिनियम एवं सीपीसी के अधीन है- तथ्यों के आधार पर, दावेदार की और से दावा करने में कोई देरी नहीं हुई- दावेदार भले ही दुर्घटना की तारीख से ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं है लेकिन दावे की राशि दावे की तिथि से वसूली की तारीख तक के लिए स्वीकृत होनी

चाहिए चूंकि न्याधिकरण को 8 वर्ष लगे दावे की राशि को देने के लिए इसके लिए दावेदारों को देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है- निचली अदालतों ने डिफॉल्ट क्लोज के अलावा कोई ब्याज नहीं देने की कही जो कि भुगतान से संबंधित स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है- यह निर्देश दिया गया है कि प्रदत्त राशि का भुगतान दावे की तारीख से पंचाट की तारीख तक 6 प्रतिशत साधारण ब्याज उसके बाद वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष दिया जावे- रेलवे अधिनियम, 1989- उपधारा 123 (ग), 124 और 124 ए- रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987- धारा 16।

अपीलार्थी नं. 1 के पति से पैसे लूट लिए गए और कुछ हमलावरों द्वारा चलती ट्रेन से फेंक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगणों को भा.द.स. की धारा 392 के तहत दोषी ठहराया गया और 10 की वर्षों का कठोर कारावास सजा सुनाई गई।

अपीलकर्ताओं ने रेलवे दावा न्यायाधिकरण से मुआवजे का दावा किया। न्यायाधिकरण ने धारा 123 (ग) रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत मुआवजा दिया गया। लेकिन मुआवजा राशि पर घटना की तारीख या दावे की तारीख से ब्याज नहीं दिया और 6.5% प्रतिवर्ष ब्याज दर अधिरोपित की गई जो कि मुआवजा राशि जमा करने की अनुपालना नहीं होने पर देय होगी। अपीलकर्ताओं ने ब्याज के सवाल पर अपील दायर की लेकिन उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने अधिनिर्णय घटना की तारीख या दावा याचिका की तारीख से राशि पर ब्याज नहीं देने में गलती की।

अपील को अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया:-

1.1. ना ही रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 व ना ही रेलवे अधिनियम, 1989 में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रदत्त राशि पर ब्याज का भुगतान किया जावे। ऐसे मामलों में जहां किसी भी पंचाटित राशि पर ब्याज के भुगतान का विशिष्ट प्रावधान विधि में नहीं दिया गया है वहां ब्याज अधिनियम, 1978 और सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायालय ब्याज अधिरोपित कर सकता है। [पैरा 13] [79- ई; 79- जी- एच; 80- ए]

1.2. धन के भुगतान के लिए डिक्री पारित करते समय न्यायालय, दावे की तारीख से या बकाया राशि की वसूल के आदेश या डिक्री की तारीख से अभिनिर्णित देय या पंचाटित मूलधन पर भुगतान के लिए युक्तियुक्त समझे जाने वाले ब्याज की वर्तमान दर या संविदात्मक दर पर ब्याज देने का हकदार होगा। इस बात में भी शायद ही कोई संदेह हो कि ब्याज का दावा उस अवधि के लिए, किसी डीक्रीत या पंचाटित राशि के लिए किया जा सकता है जिसके दौरान धन देय था और अभी तक दावेदारों को भुगतान नहीं किया गया। [पैरा 16] [79- डी- ई, जी एच; 80- ए]

1.3. आम तौर पर जब एक धन डिक्री पारित की जाती है, तो यह सबसे आवश्यक है कि उस देय अवधि के लिए ब्याज दिया जाए जिसके

दौरान पैसा देय था, लेकिन नहीं दिया गया जबकि व्यक्ति के पक्ष में धन की वसूली के लिए आदेश दिया जा चुका था। ब्याज अनिवार्य रूप से एक अधिकार है जो देय धन का उपयोग करने के लिए देय मुआवजा है जिसका वास्तव में उपयोग किया जा चुका है। ब्याज का भुगतान निश्चित रूप से तब होता है जब एक धन आदेश पारित किया जाता है। जहां तक इस प्रश्न का संबध है कि ऐसी डिक्री पर ऐसा ब्याज कब से देय है, तो इसके बारे में दो अलग- अलग विचार हैं, एक संकेत देता है कि ब्याज उस तारीख से देय है जब मूल राशि के लिए दावा किया जाता है, अर्थात "राशि की वसूली तक की कार्यवाही, दूसरा विचार यह है कि ऐसा ब्याज केवल तभी देय होता है जब कोई निर्धारण किया जाता है और वसूली के लिए आदेश पारित किया जाता है हालांकि पूर्व दृष्टिकोण अधिक सुसंगत है और कुछ मामलों में तो जहां कानून द्वारा इसकी अनुमति है वहां कार्यवाही से पूर्व की अवधि के लिए भी बकाया राशि की वसूली की जाती है जो दोनों पक्षकारों के बीच हुए समझौते की शर्तों द्वारा प्रदान की जाती है। तदनुसार, रेलवे दावा न्यायाधिकरण का आदेश जिसमें भुगतान में चूक होने पर ब्याज का भुगतान 45 दिन के अन्दर हो जाएगा न्यायालय के समक्ष निरंतर नहीं कर सकता है। जहां किसी भी देय राशि पर ब्याज का अनुदान का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है वहां न्यायालय और यहां तक कि न्यायाधिकरण भी अपने विवेकानुसार ब्याज अधिनियम और धारा 34 सी. पी. सी के अन्तर्गत ब्याज अधिरोपित कर सकने के हकदार है। [पैरा 17 और 19] [83] एफ- एच; 84- ए- डी]

राठी मेनन बनाम भारत संघ (2001) 3 एससीसी 714; एन. परमेश्वरन पिल्लई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2002) 4

एससीसी 306; प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाटा & अन्य (1976 1 एस. सी. सी. 289; तेजिंदर सिंह गुजराल बनाम इंदरजीत सिंह और अन्य (2007) 1 एससीसी 508 और डॉ. के. आर. टन्डन बनाम ओमप्रकाश और अन्य (1998) 8 एससीसी 421 एल; जगदीश राय और ब्रदर्स बनाम भारत संघ (1999) 3 एससीसी 257 और हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1992) 4 एससीसी 217, संदर्भित।

2.1. हस्तगत मामले में, मुआवजे का दावा 13 नवंबर, 1998 को उपार्जित हुआ, जब अपीलार्थी नं. 1 के पति की चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाने के कारण मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद 1999 में न्यायाधिकरण में दावा दायर किया गया था जहां दावेदारों/अपीलार्थियों की ओर से दावा करने में कोई देरी नहीं की गई थी इस दावे के तहत अधिकतम राशि 4 लाख रूपये 26 नवंबर, 2007 को तुरंत अनुदानित की गयी। हालांकि अपीलार्थी दुर्घटना की दिनांक से, ब्याज का दावा करने की तारीख तक की राशि मांगने के लिए हकदार नहीं थे लेकिन आवेदन पत्र देने से वसूली की दिनांक तक अपीलार्थी को आदेशित राशि पर ब्याज देने की अनुमति दी जानी थी। चूंकि रेलवे दावा अधिकरण द्वारा पारित पंचाट में लगभग 8 साल की देरी के लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगर न्यायाधिकरण ने मामले में इतने लंबे समय तक देरी नहीं की होती, तो बहुत पहले समय से ही अपीलार्थीगण इस पंचाटित राशि का ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी होते। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे उक्त लाभों से क्यों वंचित रहने चाहिए। ब्याज की राशि उस समयावधि के दौरान धन के उपयोग वंचित किये जाने पर एक साधारणतः

मुआवजा है जिसमे वह धन दावेदारो के उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकता था। [पैरा 23] [85- ई- एच; 86- ए- बी]

2.2. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थी को ब्याज न देकर गलत किया केवल डिफॉल्ट क्लोज को छोडकर, जो कि धनीय दावो में ब्याज के भुगतान से संबंधित स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। यह निर्देशित किया जाता है कि आदेशित राशि आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से राशि प्राप्त होने के दिनांक तक पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर उसके बाद वास्तविक भुगतान करने की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर दिया जावे। [पैरा 24 और 25] [86- बी- डी]

मामला कानून संदर्भः

(2001) 3 एससीसी 714 संदर्भित किया गया है पैरा 5

(2002) 4 एससीसी 303 संदर्भित किया गया है पैरा 5

(1976) 1 एससीसी 289 संदर्भित किया गया है पैरा 8

(2007) 1 एससीसी 508 संदर्भित किया गया है पैरा 9

(1998) 8 एससीसी 421 संदर्भित किया गया है पैरा 10

(2008) 9 एससीसी 527 संदर्भित किया गया है पैरा 10

(1999) 3 एससीसी 257 संदर्भित किया गया है पैरा 20

(1992) 4 एससीसी 217 संदर्भित किया गया है पैरा 21

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 3568/2009 से।

उच्च न्यायालय केरल एमाकुलम के एम. एफ. ए. सं. 64/2007 में 24.5.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

प्रत्यर्थीगण के लिए पी. वी. दिनेश।

के. राधाकृष्णन, नरेश कौशिक, रश्मि मल्होत्रा, ए. के. शर्मा और सुषमा सूरी, प्रतिवादीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय **अल्टमास कबीर, जे**. के द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. 13 नवंबर, 1998 को, एक कुन्ही मूसा, अपीलार्थी नंबर 1 तहजाथे पुराइल साराबी का पति, पय्यन्नूर रेलवे स्टेशन से मद्रास मेल द्वारा मद्रास जाने के लिए रवाना हुआ। वह कोच नंबर ऐस- 5 में बर्थ सं. 67 पर बैठ गया जबकि उनके बहनोई और दो अन्य जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे उन्होंने उसी कोच में बर्थ सं. 66 और 26 पर बैठ गये। ट्रेन पारप्पनगड़ी रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ने वाली थी तभी तथाकथित कुन्ही मूसा से पैसे लूट लिए गए जो वह अपने साथ ले जा रहा था और हाथापाई के दौरान उसे हमलावरों द्वारा ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तथाकथित मामले के संबंध में अपराध सं. 46/98 दर्ज किया। घटना और मामले को सत्र न्यायालय कोझिकोड में प्रस्तुत किया गया।

3. 1999 में, अपीलकर्ताओं ने राशि 4 लाख रुपये मुआवजे के लिए, रेलवे दावा न्यायाधिकरण एर्नाकुलम के समक्ष ओ.ए. सं. 68/1999 दायर किया था। 18 अगस्त, 2006 को अभियुक्तगणों को भारतीय दंड संहिता ('आई. पी. सी.', संक्षेप में) की धारा 392 के तहत दोषी ठहराया गया था और

प्रत्येक को 10 साल का कठोर कारावास एवं Rs. 15,000/- जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माने में चूक होने पर एक वर्ष और अवधि के लिए कठोर कारावास दंडित किया जावे।

4. रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांकित 26 मार्च, 2007 द्वारा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) की शर्त के अधीन भारत संघ एवं प्राधिकारियों को अपीलार्थीगण को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जावे, जिसमें से 2 लाख रुपये की राशि अपीलार्थी संख्या 1 को दी गई थी, अपीलार्थी संख्या 2 को 1, 50,000 और अपीलार्थी सं. 3 को Rs. 50,000/- आबंटित किए गए थे। रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने उत्तरदाताओं को क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान करने के आदेश का पालन करने के लिए 45 दिनों का समय दिया, जिसमें विफल रहने पर यह निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी चूक की तारीख से 6.5 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष की दर से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

5. रेलवे दावा न्यायाधिकरण के उक्त फैसले को अपीलकर्ताओं द्वारा एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि राठी मेनन बनाम भारत संघ (2001) 3 एससीसी 714 में इस अदालत के फैसले के मद्देनजर, मुआवजे का दावा घटना की तारीख से उत्पन्न होगा। इस न्यायालय द्वारा तथ्यों के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया था कि रेलवे अधिनियम, 1989 मुआवजे की राशि को निर्धारित नहीं करता है बल्कि केंन्द्र सरकार के ऊपर मुआवजे की राशि समय- समय पर निर्धारित करने के लिए छोड देता है। इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय एन

परमेश्वरन पिल्लई और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2002) 4 एससीसी 306], पर जोर दिया गया जिसमें राठी मेनन केस (सुप्रा) को ध्यान में रखते हुए आवेदन की तिथि से निर्णय की तिथि तक 12% ब्याज प्रतिवर्ष दिया गया था।

6. केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह विचार किया कि भले ही पिछली अवधि के लिए ब्याज नहीं दिया गया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने जमा के आदेश के अनुपालन में डिफ़ॉल्ट के मामले में मुआवजा राशि पर ब्याज दिया था। उच्च न्यायालय का विचार था कि चूंकि ट्रिब्यूनल ने आदेश देते समय अपना विवेक का इस्तेमाल किया था चूंकि ब्याज देना न्यायाधिकरण का विवेकाधिकार है, इसलिए केवल ब्याज के इस प्रश्न पर अपील स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार अपील खारिज की गई। यह अपील उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दावेदारों, अर्थात् कुन्ही मूसा के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर की गई है।

7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने अधिकतम मुआवजा दिया है जो अधिनियम के तहत दिया जा सकता था, इसलिए इस अपील में निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उक्त न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों उचित नहीं थे कि उन्हें ब्याज, पंचाट की राशि पर घटना की तारीख से या दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर पंचाट राशि के वास्तविक भुगतान तक देना था।

8. श्री पीवी दिनेश, अपीलकर्ता के विद्वान वकील, ने यह तर्क दिया कि राठी मेनन (सुप्रा) के मामले में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें से एक

प्रासंगिक तारीख के सवाल के संबंध में था, जिस दिनांक से रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुआवजा देय होगा। प्रावधानों की व्याख्या करते समय उपरोक्त अधिनियम की धारा 124ए जिसके तहत मुआवज़े का दावा किया गया था, इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि उक्ति " देय मुआवजा ऐसी निर्धारित सीमा तक " यह संकेत देती है कि रेलवे प्रशासन से मुआवजे का दावा करने का अधिकार आहत द्वारा उक्त घटना की तारीख से प्राप्त किया जाएगा। प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबटा और अन्य। (1976) 1 एससीसी 289] के मामले में भी इस सिद्धांत को माना गया था।

9. श्री दिनेश ने यह भी कथन किया कि .तेजिंदर सिंह गुजराल बनाम इंद्रजीत सिंह और अन्य (2007) 1 एससीसी 508 के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे के ब्याज पर विचार किया गया था यह मुकदमा . मोटर वाहन अधिनियम के तहत था। देय मुआवज़े के प्रश्न पर विचार करते समय, ब्याज के भुगतान का प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन आया था, जिसमें .यह माना गया कि ब्याज का अनुदान विवेकाधीन था और उसका .अलग से दावा करना आवश्यक नहीं है। यह माना गया कि ब्याज मुआवजे के रूप में दिया जाता है और यह मामले के तथ्यों और सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर देना तर्कसंगत होगा। उक्त मामले में, ब्याज 9% प्रतिवर्ष दर से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के प्रावधानों के तहत दिया गया जो कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता।

10. डॉ. के.आर. टंडन बनाम ओम प्रकाश एवं अन्य। (1998) 8 एससीसी 421 का मामला जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा था, पंचाटित मुआवजे पर ब्याज के अनुदान को न केवल बरकरार रखा गया था, बल्कि अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने इस ब्याज की दर को आवेदन करने की तिथि से 6% से 12% प्रतिवर्ष बढाया था। यह माना गया कि इसकी दर की परवाह किए बिना आवेदन की तारीख से ब्याज देने के लिए नीचे की अदालतों की ओर से चूक अनुचित मानी जाती है। श्री दिनेश ने इस न्यायालय द्वारा पारित एक निर्णय भारत संघ बनाम प्रभाकरण विजय कुमार एवं अन्य। (2008) 9 एससीसी 527, जो इस मामले के तथ्यों के करीब था को प्रस्तुत किया, जिसमें रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123(सी)(2), 124 ए और 127 के प्रावधानों और अभिव्यक्ति "अप्रिय घटना" पर विचार करते हुए माना गया कि धारा 124- ए के प्रावधान रेलवे दुर्घटनाओं के मामले में यह बिना किसी गलती के दायित्व की प्रकृति के है और ट्रेन में यात्रा करने वाला एक सदभाविक यात्री ऐसी अप्रिय घटना के लिए मुआवजे का हकदार होगा, भले ही गलती किसी की भी हो।

11. श्री दिनेश ने प्रस्तुत किया कि किसी भी ऐसी राशि पर ब्याज का भुगतान जो किसी व्यक्ति को देय माना जाता है, पूरी तरह से न्यायालय के विवेक के अधीन है, उन मामलों को छोड़कर जहां ब्याज की वैधानिक दर निर्धारित की जा चुकी हो। यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां क़ानून के तहत कोई ब्याज प्रदान नहीं किया जाता है, न्यायालय, ब्याज अधिनियम, 1978 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक से ब्याज देने का हकदार है। श्री दिनेश ने प्रस्तुत किया कि जब

कोई राशि किसी लेनदार को देय होती है और देनदार द्वारा एक निश्चित अवधि में उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो लेनदार उस अवधि के लिए उक्त राशि के उपयोग से वंचित हो जाता है, जिसके दौरान राशि बकाया रहती है, जिसके लिए वह हकदार है इस अवधि के दौरान देनदार मुआवजे की राशि पर ब्याज के भुगतान का हकदार होगा। इन दलीलों के आधार पर, श्री दिनेश ने आग्रह किया कि ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों ने पंचाटित राशि पर ब्याज न देकर गलती की है।

12. दूसरी ओर, राठी मेनन के मामले (सुप्रा) में इस अदालत के फैसले पर निर्भर रहते हुए, वरिष्ठ वकील श्री के. राधाकृष्णन ने कहा कि उक्त फैसले का महत्व यह है कि मुआवजे का दावा करने का अधिकार घटना की तारीख से होता है लेकिन मुआवजे के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तारीख का निर्धारण ट्रिब्यूनल करेगी जो कि घटना की तारीख से नही होगी। श्री राधाकृष्णन ने आगे यह प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय वास्तव में अपीलकर्ताओं के तर्क को आगे नहीं बढ़ाता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में, अपीलकर्ताओं को पंचाटित राशि के पंचाटित होने की तारीख से ब्याज दिया जा सकता है, न कि किसी पूर्वावधि से। श्री राधाकृष्णन ने तत्काल उस मामले में आग्रह किया कि रेलवे दावा न्यायाधिकरण की ओर से एक निर्देश दिया गया था कि पंचाट की तारीख से 45 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा अपीलकर्ता चूक की दिनांक से 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा। श्री राधाकृष्णन के अनुसार, भले ही अपीलकर्ताओं का दावा स्वीकार कर लिया गया हो, राठी मेनन के मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुसार, ऐसा दावा केवल 45 दिनों की अवधि तक सीमित होगा, जिसके

भीतर दी गई पचांटित राशि का भुगतान किया जाएगा, इस भुगतान में चूक होने पर, आदेश में इंगित दर पर प्रदान की गई राशि पर ब्याज देय होगा। श्री राधाकृष्णन. ने प्रस्तुत किया गया कि इस अपील में लगाए गए ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

13. स्वीकृत है कि, न तो रेलवे दावा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1987 और न ही रेलवे अधिनियम, 1989, किसी भी पंचाटित राशि पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता है जबकि अधिनियम 1987 की धारा 16 दावा न्यायाधिकरण में आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित करती है, अधिनियम 1989 के अध्याय XII की धारा 124 और 124- ए में मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है जो कि दुर्घटना के कारण यात्रियों की मृत्यु और चोट के लिए रेलवे प्रशासन के दायित्व से संबंधित है। भले ही किसी भी अधिनियम में पंचाटित राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुआवजे का दावा करने का अधिकार घटना की तारीख से अर्जित होता है, हालांकि राठी मेनन केस (सुप्रा) के मामले में मुआवजे को रोक दिया गया है और पचांटित राशि की गणना. दावा न्यायाधिकरण के फैसले की तारीख से की जानी थी। ऐसे मामलों में जहां क़ानून किसी भी पंचाटित राशि पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं करता है, ब्याज देने की अदालतों की शक्ति भी ब्याज अधिनियम, 1978 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1978 की धारा 3 के प्रावधानो के अधीन है जो न्यायालय को ब्याज की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करती है, इस प्रकार है-

"3. न्यायालय की ब्याज की अनुमति देने की शक्ति- (1) किसी भी ऋण या क्षति की वसूली के लिए किसी भी कार्यवाही में या किसी भी कार्यवाही में जिसमें पहले से भुगतान किए गए हो, किसी भी ऋण या क्षति के संबंध में ब्याज का दावा किया जाता है, न्यायालय यदि वह ऋण उचित समझे तो ऋण या क्षतिपूर्ति के हकदार व्यक्ति या ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को, अवधि के संपूर्ण या आंशिक भाग के लिए जो कि दावे के अनुसार वर्तमान दर से अधिक नहीं हो, ब्याज की अनुमति दे सकता है, अर्थात्-

(ए) यदि कार्यवाही निश्चित समय पर लिखित दस्तावेज के आधार पर देय ऋण से संबंधित है तब ऋण देय होने के दिनांक से ़कार्यवाही संस्थित किये जाने की तारीख तक;

(बी) यदि कार्यवाही ऐसे किसी ऋण से संबंधित नहीं है, तो हकदार व्यक्ति या दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा ब्याज का दावा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दिए गए लिखित नोटिस में इस संबंध में उल्लेखित तिथि से कार्यवाही शुरू करने की तारीख तक:

बशर्ते कि जहां ऋण या क्षति की राशि कार्यवाही शुरू होने से पहले चुका दी गई हो ऐसे पुनर्भुगतान के बाद की अवधि के लिए इस धारा के तहत ब्याज की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) जहां, उपधारा (1) में उल्लेखित किसी भी कार्यवाही में -

(ए) निर्णय, आदेश या पंचाट उस राशि के लिए दिया जाता है, जो क्षति पर ब्याज के अलावा, चार हजार रुपये से अधिक हो।

(बी) यह राशि वादी या किसी अन्य व्यक्ति को व्यक्तिगत चोटों या किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में क्षति का प्रतिनिधित्व करती है।

फिर, उस उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें उन नुकसानों पर या उनके ऐसे हिस्से पर ब्याज की राशि शामिल हो, जिसे अदालत नोटिस में उल्लेखित तिथि से कार्यवाही शुरू करने की तारीख तक पूरी अवधि या उसके कुछ हिस्से के लिए उचित समझे दे सकती है, जब तक कि न्यायालय संतुष्ट नहीं हो जाए कि इसका कोई विशेष कारण हो कि उन नुकसानों के बदले में ब्याज नही दिया जाना चाहिए।

(3) इस खण्ड में कुछ भी नहीं, -

(ए) इस संबंध में लागू होगा-

(I) कोई भी ऋण या क्षति जिस पर किसी समझौते के आधार पर अधिकार के रूप में ब्याज देय है; या

(ii) कोई भी ऋण या क्षति जिस पर सभी स्पष्ट समझौते के आधार पर ब्याज का भुगतान वर्जित है;

(बी) प्रभावित करेगा-

(I) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) में परिभाषित विनिमय बिल, वचनपत्र या चेक के अनादर के लिए वसूली योग्य मुआवजा या

(ii) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 11 के नियम 2 के प्रावधान;

(सी) न्यायालय को ब्याज पर ब्याज देने का अधिकार देगा."

14. जैसा कि पूर्वोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है, अन्य बातों के साथ-साथ, बशर्ते कि किसी भी ऋण या क्षति की वसूली के लिए किसी भी कार्यवाही में न्यायालय, यदि उचित समझे, ऋण या क्षति के हकदार व्यक्ति को ब्याज की अनुमति दे सकता है। ऋण देय होने की तारीख से घटना की तारीख तक पूरे या अवधि के हिस्से के लिए ब्याज की वर्तमान दर से अधिक नहीं, यदि ऐसा ऋण किसी समय पर लिखित दस्तावेज के आधार पर देय था या यदि कार्यवाही ऐसे किसी ऋण से संबंधित नहीं है, तो दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति को दिए गए किसी भी लिखित नोटिस में उल्लेखित तिथि से, कार्यवाही शुरू होने की तारीख तक ब्याज का दावा किया जायेगा।

15. जैसा कि यहां पहले बताया गया है, ब्याज अधिनियम के प्रावधानों के अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 भी न्यायालय को धन के भुगतान के लिए डिक्री पर ब्याज का निम्नलिखित तरीके से आदेश देने का अधिकार देती हैः

"34. ब्याज- (1) जहां और जहां तक की डिक्री धन के भुगतान के लिए है, न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा कि न्यायनिर्णीत मूल राशि पर किसी ऐसे ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर वाद संस्थित किये जाने से पूर्व की किसी अवधि के लिए न्यायनिर्णीत हुआ है, वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज, ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तितयुक्त समझे, ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक या ऐसी पूर्वतर तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे, छह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक ऐसी दर से जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, आगे के ब्याज सहित, दिया जाएः

[बशर्ते कि जहां इस प्रकार तय की गई राशि के संबंध में देनदारी एक वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुई हो, ऐसे अतिरिक्त ब्याज की दर प्रति वर्ष छह प्रतिशत से अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसी दर ब्याज की संविदात्मक दर से या जहां कोई संविदात्मक दर नहीं है वहां उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन उधार या अग्रिम दिया जाता है।

स्पष्टीकरण I- इस उपधारा में, "राष्ट्रीयकृत बैंक" बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) में यथा परिभाषित तत्स्थानी नया बैंक से अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण ॥- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई संव्यवहार एक वाणिज्यिक संव्यवहार है, यदि यह दायित्व उपगत करने वाले पक्षकार के उद्योग, व्यापार या व्यवसाय से संबंधित है।]

(2) जहां 3 [ऐसी मूल राशि पर], डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक या अन्य पुर्वतर तारीख तक आगे के ब्याज के भुगतान के संबंध में ऐसी डिक्री मौन है, तो वहां यह समझा जायेगा कि न्यायालय ने ऐसा ब्याज दिलाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए पृथक वाद नहीं होगा। "

16. इसलिए, यह स्पष्ट है कि न्यायालय, धन के भुगतान के लिए डिक्री करते समय ब्याज की वर्तमान दर या संविदात्मक दर पर ब्याज देने का हकदार है क्योंकि वह यह देय मूल राशि पर भुगतान करना उचित समझता है और दावा की तिथि से या बकाया राशि की वसूली के लिए आदेश या डिक्री की तिथि तक प्रदान किया जाएगा। इस बात में भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि ब्याज का दावा उस अवधि के लिए तय की गई या दी गई किसी भी राशि पर किया जा सकता है, जिसके दौरान पैसा देय था और फिर भी दावेदारों को भुगतान नहीं किया गया था।

17. न्यायालय अपने विचार में सुसंगत हैं कि आम तौर पर जब धन डिक्री पारित की जाती है, तो यह सबसे आवश्यक है कि उस अवधि के लिए ब्याज दिया जाए जिसके दौरान धन देय था, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था, जिसके पक्ष में धन की वसूली का आदेश

पारित किया गया था। जैसा कि इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा बार- बार समझाया गया है, ब्याज अनिवार्य रूप से देय धन का उपयोग करने के अधिकार से इनकार के कारण देय मुआवजा है जो वास्तव में, उसे रोकने वाले व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया है। तदनुसार, धन डिक्री पारित होने पर ब्याज का भुगतान निश्चित रूप से होता है। निर्णय करने के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि ऐसी डिक्री पर ब्याज कब से देय होगा। हालाँकि, दो अलग- अलग विचार हैं, एक यह दर्शाता है कि ब्याज उस तारीख से देय है जब मूल राशि के लिए दावा किया जाता है, अर्थात् कार्यवाही शुरू करने की तारीख से राशि की वसूली तक, दूसरा दृष्टिकोण यह है कि ऐसा ब्याज तभी देय होता है जब निर्धारण किया जाता है और बकाया की वसूली के लिए आदेश पारित किया जाता है। हालाँकि, पूर्ववर्ती दृष्टिकोण अधिक सुसंगत है और दुर्लभ मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि के लिए भी ब्याज दिया गया है, जो पक्षकारों के बीच समझौते की शर्तों के अधीन दिया गया हो या जहां इस संबंध में क़ानून द्वारा इसकी अनुमति गई हो।

19. तदनुसार, हम 45 दिनों की अवधि के भीतर मूल राशि के भुगतान में चूक पर ब्याज के भुगतान का निर्देश देने वाले रेलवे दावा न्यायाधिकरण के आदेश को कायम रखने में असमर्थ हैं। जैसा कि हमने यहां पहले संकेत दिया है, जब किसी देय राशि पर ब्याज देने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, ब्याज अधिनियम की धारा 3 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के प्रावधानों के तहत न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों को अपने विवेक से ब्याज देने का हकदार माना गया है।

20. इस न्यायालय ने जगदीश राय एवं ब्रदर्स बनाम भारत संघ (1999) 3 एससीसी 257] में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 9 मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत मध्यस्थता कार्यवाही में दी गई राशि के संबंध में ब्याज देने पर विचार करते हुए कहा कि ब्याज अनुदान के चार चरण है: प्रथम, वाद कारण उत्पन्न होने के चरण से लेकर मध्यस्थता कार्यवाही दाखिल करने तक; द्वितीय, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान; तृतीय, पंचाट की तारीख और डिक्री की तारीख के बीच उत्पन्न होने वाला भविष्य का ब्याज; और चतुर्थ, डिक्री की तारीख से पंचाट की प्राप्ति तक उत्पन्न होने वाला ब्याज। इस न्यायालय ने माना कि यद्यपि ब्याज के लिए दावा उस न्यायालय के समक्ष किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा पंचाट जारी करने की कार्यवाही लंबित थी। इस न्यायालय द्वारा परीक्षण किया कि न्यायालयों को यह मत लेना चाहिए कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 के तहत ब्याज पर पंचाट देना प्रक्रिया का मामला है और उन सभी मामलों में दिया जाना चाहिए जहां धन के लिए डिक्री है, जब तक कि इसे अस्वीकार करने कोई दृढ कारण न हो। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के डिक्री को संशोधित करते निर्देशित किया कि अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय की डिक्री की दिनांक से वसूली तक 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान किया जावें।

21. इसी तरह का विचार इस न्यायायल के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हिंदुस्तान कॉन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम के राज्य जम्मू और कश्मीर (1992) 4 एससीसी 217 में भी व्यक्त किया था।

22. हालाँकि, उपरोक्त दोनों मामले मध्यस्थता अधिनियम के तहत दिए गए पंचाट के संबंध में थे, .यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जिन मामलों में धन पंचाट दिया जाता है, वहां सिविल नागरिक संहिता की धारा 34 एवं ब्याज अधिनियम की धारा 3, पंचाट की तारीख से उसकी प्राप्ति तक ब्याज देने के लिए लागू किया जा सकता है।

23. मौजूदा मामले में, मुआवजे का दावा 13 नवंबर 1998 को दायर हुआ, जब कुन्ही मूसा .अपीलकर्ता संख्या 1 के पति की चलती ट्रेन से बाहर फेंके जाने के कारण मृत्यु हो गई। रेलवे दावा न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम, (ओए सं. 68/1999) के समक्ष दावा इसके तुरंत बाद 1999 में दायर किया गया था। इसमें कोई देरी नहीं हुई थी कि दावा करने में दावेदारों/अपीलकर्ताओं का हिस्सा, जो अंततः 26 मार्च, 2007 को अधिकतम 4 लाख रुपये की राशि के लिए प्रदान किया गया था। भले ही, अपीलकर्ता ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हो सकते हैं .दुर्घटना की तारीख के मामले में, हमारा विचार है कि दी गई राशि पर ब्याज का दावा आवेदन की तारीख से वसूली की तारीख तक की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि लगभग 8 साल की देरी के लिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। रेलवे दावा न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट देने के लिए इतने लंबे समय तक विलंबित नहीं किया होता, तो अपीलकर्ता बहुत पहले की तारीख से दी गई राशि के लाभकारी ब्याज के हकदार होते और हमें कोई कारण नहीं दिखता कि उन्हें इस तरह के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले संकेत दिया है, ब्याज का भुगतान मूल रूप से उस अवधि के दौरान धन के उपयोग से वंचित होने के लिए मुआवजा है जिसे दावेदारों को उपलब्ध कराया जा सकता था।

24. हमारे विचार में, ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय दोनों ही अपीलकर्ताओं को एक डिफ़ॉल्ट खंड के अलावा किसी भी तरह का ब्याज न देने में गलत थे, जो कि ब्याज के भुगतान से संबंधित स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।

25. इसलिए, हम अपील की अनुमति देते हैं और ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय के दिनांक 24.05.2007 के आदेश को संशोधित करते हैं और निर्देश देते हैं कि दी गई राशि पर आवेदन की तारीख से पंचाट की तारीख तक प्रतिवर्ष 6% साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा उसके बाद, उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। ।

26. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थीगण के द्वारा अपीलकर्ताओं को इस कार्यवाही की लागत 25,000/- रुपये का भुगतान करना होगा।

बी.बी.बी.

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रीती चौधरी (आर.जे.ऐस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।